

प्रेषक,

आशीष तिवारी,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन  
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार  
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 25 मार्च 2019

विषय:- अमरोहा में दिल्ली-मुरादाबाद मार्ग (एन0एच0-24) किमी0 126 चैनेज 125.732 की बायीं पटरी पर ग्राम-नारंगपुर के गाटा सं0-41 पर एस्सार ऑयल लि0 (वर्तमान में नयारा एनर्जी लि0 नोयडा) द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.245113 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/01/2019/एफ0सी0/570, दिनांक 08-01-2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई आपत्तियों का अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-1688/अमरोहा/30135/2017, दिनांक 22-02-2019 द्वारा उक्त आपत्तियों का निराकरण कर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराया गया है, जो इस प्रकार है:-


क्रमांक	आपत्तियाँ	अनुपालन आख्या
1	The area of porposed land to be diverted as per Gis DSS analysis is 0.2024 ha. which is less than area mentioned in the proposal.	प्रयोक्ता एर्जेन्सी द्वारा सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्रफल गैर वनभूमि हेतु ठीक करते हुए 0.245113 हे0 करा दिया गया है। सी0डी0 मूल में संलग्न है। (संलग्नक-एक)
2	The proposal CA land falls within protected area boundary of Hastinapur WLS and Plantation scheme must be approved by Wild life warden.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत होने के कारण चयनित स्थल पर प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने बावत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ से अनुमोदन करा लिया गया है। अनुमोदित पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-दो)

3	No measurement details is enclosed to explain area calculation of the proposed Forest area.	प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा एरिया कैलकुलेशन की प्रतियां प्रस्तुत की गयी है। (संलग्नक-तीन)
---	---	--

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 22-02-2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्नक:- यथोपरि।**

भवदीय,

  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव।

संख्या- 545 (1)/14-2-2019-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(डा० दीपक कोहली)  
उप सचिव।